LTI
रोतानसिंह
21/02/2025

पत्रावली प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का प्रस्तुत करने पर पत्रावली नियत तिथि 16.04.2025 से तलब होकर आज पेश हुयी। प्रार्थी ने पत्रावली में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि ग्राम जगतसिंहनगर पटवार हल्का गांवड़ी के पुराना खाता संख्या 03 में प्रार्थी का सही नाम रोतानसिंह पि. बींजूसिंह दर्ज है। नयी जमाबन्दी सम्वंत 2075–78 में खाता संख्या 14 में प्रार्थी खातेदार का नाम शेतानसिंह पुत्र बींजूसिंह गलत दर्ज कर दिया गया, जो दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/6723 दिनांक 04.12.2024 का गहनता से अवलोकन किया गया। ग्राम जगतसिंहनगर पटवार हल्का गावंड़ी की जमाबन्दी सम्वंत् 2055–58 में खाता संख्या 03 में दर्ज कुल खसरा किता 14 रकबा 4.75 हैक्ट0 में प्रार्थी का नाम रोतान सिंह पि. बींजूसिंह दर्ज होना पाया जाता है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में प्रार्थी का नाम शेतान सिंह पुत्र बींजूसिंह दर्ज कर दिया गया जो लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी में आता है। तहसीलदार, नीमकाथाना ने अपनी रिपोर्ट भी प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 14 मे शेतान सिंह पुत्र बींजूसिंह के स्थान पर रोतानसिंह पुत्र बींजूसिंह किये जाने की अभिशंषा की है।

न्यायहीत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू.राज. अधि. बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि **ग्राम जगतसिंहनगर पटवार हल्का गांवड़ी के वर्तमान खाता संख्या 14 मे दर्ज खातेदार शेतानसिंह पुत्र बींजूसिंह के स्थान पर रोतानसिंह पुत्र बींजूसिंह दर्ज किया जावे।** आदेश की पालना मे तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.04.22 17:10:13
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना